सत्यमेव जयते

भारत सरकार

बजट 2023-2024

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का

भाषण

फरवरी 1, 2023

विषय सूची

भाग-क

पृष्ठ सं.

- प्रस्तावना 1
- वर्ष 2014 से उपलब्धियां: किसी को पीछे न छोड़ते 3
- *अमृत काल* के लिए संकल्पना- सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था 4
- इस बजट की प्राथमिकताएं 6
  - i. समावेशी विकास
  - ii. अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना
  - iii. अवसंरचना एवं निवेश
  - iv. सक्षमता को सामने लाना
  - v. हरित विकास
  - vi. युवा शक्ति
  - vii. वित्तीय क्षेत्र
- राजकोषीय प्रबंधन 29

भाग-ख

अप्रत्यक्ष कर 31

हरित गतिशीलता (मोबिलिटी) 31

- इलेक्ट्रॉनिक्स 31
- इलेक्ट्रिकल 32
- रसायन और पेट्रोरसायन 32
- मरीन (समुद्री उत्पाद) 33
- प्रयोगशाला-निर्मित हीरा 33
- बहुमूल्य धातु 33
- धातु 33
- संमिश्रित रबर 34
- सिगरेट 34

प्रत्यक्ष कर 34

- एमएसएमई और पेशेवर 35
- सहकारिता 35
- स्टार्ट-अप 36
- अपील 36
- कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना 37
- युक्तिसंगत बनाना 37
- अन्य 37
- व्यक्तिगत आयकर 38

अनुबंध 41

- बजट भाषण 2023-24 के भाग ख का अनुबंध
  - i) प्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन
  - ii) अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन

बजट 2023-2024

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का

भाषण

1 फरवरी, 2023

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करती हूं। यह *अमृत काल* में पहला बजट है।

प्रस्तावना

1. इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत@100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचे।

2. हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक 'चमकता सितारा' माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद, उज्ज्वल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है।

3. आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं, और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन अग्रजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई

लड़ी थी वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे।

अनेक संकटों के बीच समुत्थान

4. हमने *सबका प्रयास* के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके परिणामस्वरूप *जन भागीदारी* और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है, इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बढ़ा हैः अद्वितीय विश्वस्तरीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, यानि आधार, को-विन और यूपीआई; अभूतपूर्व पैमाने और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान; अग्रिम मोर्चो जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ, और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं।

5. कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत अगले एक वर्ष के लिए सभी अन्त्योदय और प्राथमिकताप्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं। लगभग ₹ 2 लाख करोड़ से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

जी20 अध्यक्षताः चुनौतियों के बीच वैश्विक एजेंडा को संचालित करना

6. वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में, जी20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है। *'वसुधैव कुटुम्बकम'* की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए, और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी, लोक-केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं।

वर्ष 2014 से उपलब्धियां: किसी को पीछे न छोड़ते

7. वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की जिन्दगी और इज्जत की जिन्दगी सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से भी अधिक होकर ₹ 1.97 लाख हो गई है।

8. इन नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नवोन्मेषी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों से प्रतिबिंबित होता है। हमने कई संधारणीय विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

9. अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है जैसा कि वर्ष 2022 में ईपीएफओ सदस्यता के दुगुने से अधिक 27 करोड़ होने, और यूपीआई के माध्यम से ₹ 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है।

10. लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ करने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछेक योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय,

ii. उज्जवला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन,

iii. 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण,

iv. 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते,

v. पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, और

vi. पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को ₹ 2.2 लाख करोड़ का नकद अंतरण

_अमृत काल_ के लिए संकल्पना- सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था

11. *अमृत काल* के लिए हमारी संकल्पना में, सुदृढ़ लोक वित्त, और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ, प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए *सबका साथ सबका प्रयास* के माध्यम से *जन भागीदारी* अनिवार्य है।

12. इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया हैः पहला, नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना; दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना; और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना।

13. भारत@100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान दिए जाने वाले इन क्षेत्रों के लिए काम करने के लिए हमारा मानना है कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित चार मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं:-

1. **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरणः** दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं-सहायता समूहों से जोड़ कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। हम इन समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों या समूहों, जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा, के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। कच्चे माल की आपूर्ति के साथ और उनके उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं जैसा कि कई स्टार्ट-अप्स के तरक्की करके 'यूनिकार्न' में बदलने के मामले में हुआ है।

2. **पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास):** सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतया विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार, उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संघटकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उसमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा।

3. **पर्यटनः** हमारे देश में घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों की भरमार है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियों एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य, राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के साथ, मिशन मोड में किया जाएगा।

4. **हरित विकासः** हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियां क्रियान्वित कर रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हरित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं।

इस बजट की प्राथमिकताएं

14. इस बजट में निम्नलिखित सात प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक-दूसरे का सम्पूरण करती हैं और *अमृत काल* के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए *'सप्तर्षि'* की भांति कार्य करती हैं।

1. समावेशी विकास
2. अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना
3. अवसंरचना एवं निवेश
4. सक्षमता को सामने लाना
5. हरित विकास
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र

प्राथमिकता 1 : समावेशी विकास

15. *सबका साथ सबका विकास* के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया गया है। यह बजट उन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

कृषि एवं सहकारिता

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

16. एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलीजेंस, और एग्री-टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान-केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे।

कृषि वर्धक निधि (एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड)

17. युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्ट-अप्स खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी लेकर आएगी।

कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना

18. अतिरिक्त-लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति एक्सटेंशन सेवाओं, और मार्केट लिंकेजों की व्यवस्था की जाएगी।

आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम

19. हम ₹ 2,200 करोड़ के परिव्यय से हाइ वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।

मिलेट के लिए वैश्विक केन्द्र *'श्री अन्न'*

20. माननीय प्रधान मंत्री ने कहा, *"भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है"।*

21. हम दुनिया में *'श्री अन्न'* के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम कई प्रकार के *श्री अन्न* उगाते हैं जैसे कि *ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टु, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा।* इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं, और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। मैं इन*'श्री अन्न'* को उगा कर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

22. अब भारत को '*श्री अन्न*' के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।

कृषि ऋण

23. कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ₹ 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र

24. हम ₹ 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू करेंगे ताकि मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें, मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जा सके, और बाजार का विस्तार किया जा सके।

सहकारिता

25. किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। *'सहकार से समृद्धि'* के विजन को हासिल करने के अधिदेश

के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही ₹ 2,516 करोड़ के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके पीएसीएस के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए गए थे ताकि वे बहुद्देशीय पीएसीएस बनने में सक्षम हो सके। सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

26. इस पृष्ठभूमि के साथ हम व्यापक विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में कवर नहीं किए गए पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्यन सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान करेगी।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशलवर्धन

मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज

27. वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थानों में एक सौ सत्तावन नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

28. वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगपरक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा।

चिकित्सा अनुसंधान

29. सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी

मेडिकल कॉलेज संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

फार्मा नवाचार

30. फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम विशिष्ट प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे।

चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम

31. मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों का बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्यत्कालिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कुशल मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

32. नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनःपरिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा।

बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

33. बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

34. इसके अतिरिक्त, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुन:पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र मे कार्य करने वाले एनजीओ के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 2: अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना

35. प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। 'अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना' के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है।

आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम

36. आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन

37. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं

पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता, और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए ₹ 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

38. अगले तीन वर्षों में केन्द्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा।

सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल

39. कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को ₹ 5,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

पीएम आवास योजना

40. पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढाकर ₹ 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है।

भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)

41. 'भारत साझा पुरालेख निधान' एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।

निर्धन कैदियों को सहायता

42. जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता 3: अवसंचरना और निवेश

43. अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। महामारी की सुस्त अवधि के बाद निजी निवेश दोबारा बढ़ रहे हैं। इस बजट में निवेश और रोजगार सृजन के हितकारी चक्र को गति प्रदान करने के लिए एक बार फिर महत्व दिया गया है।

विकास और रोजगार के संवाहक के रूप में पूंजीगत निवेश

44. पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करके इसे ₹ 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होगा। यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग तीन गुना अधिक होगा।

45. हाल के वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने, और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा-कवच लगाने के सरकार के प्रयासों के मूल में है।

प्रभावी पूंजीगत व्यय

46. केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश का राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा सम्पूरण किया जाता है। केन्द्र के 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' का बजट ₹ 13.7 लाख करोड़ होगा जो जीडीपी का 4.5 प्रतिशत होगा।

राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता

47. मैंने अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को सम्पूरक नीतिगत कार्रवाईयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ₹ 1.3 लाख करोड़ के उल्लेखनीय रूप से बढ़े परिव्यय के साथ, राज्य सरकारों के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और एक वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है।

अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि करना

48. नवस्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रधानतया सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले रेलवे, सड़क, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और पावर सहित, में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।

अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची

49. अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची की *अमृत काल* के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्तपोषण फ्रेमवर्क की संस्तुति करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

रेलवे

50. रेलवे के लिए ₹ 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना है।

संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स)

51. पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए सौ महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को, निजी स्रोतों के ₹ 15,000 करोड़ सहित ₹ 75,000 करोड़ के निवेश के साथ, प्राथमिकता दी जाएगी।

क्षेत्रीय संपर्कता (कनेक्टिविटी)

52. क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए पचास अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा।

भविष्य के संधारणीय शहर

53. राज्यों और शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को 'भविष्य के संधारणीय' शहरों में रूपांतरित करने के लिए

शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां करें। इसके लिए भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग करना होगा, शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन करना होगा, पारगमन-उन्मुखी विकास करना होगा, शहरी भूमि की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे।

म्युनिसिपल बांड के लिए शहरों को तैयार करना

54. संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार लाकर और शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बांड के लिए अपनी ऋण-प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहरी अवसंरचना विकास निधि

55. आरआईडीएफ की तरह प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को यूआईडीएफ का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ-साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए ₹ 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं।

शहरी स्वच्छता

56. सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल-कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन-होल को मशीन-होल के रूप में प्रयोग करके 100 प्रतिशत मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक-प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्राथमिकता 4: सक्षमता को सामने लाना

57. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है *"सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूलमंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे।"*

मिशन कर्मयोगी

58. मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत, केंद्र, राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता-निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए *आईगॉट कर्मयोगी* नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों का उन्नयन करने के लिए और लोक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे।

59. 'व्यापारिक सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए, हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए 'जन विश्वास' विधेयक पेश किया है। इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टीफिशिएल इंटेलीजेंस) के लिए उत्कृष्टता केंद्र

60. "कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं" के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय डाटा शासन नीति

61. स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इससे अज्ञातनाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का सरलीकरण

62. 'एक आकार सबके लिए उपयुक्त' के बजाए 'जोखिम आधारित' मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः सहज हो।

पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान

63. विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा बनाए रखे गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और 'आधार' का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता

64. जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) होना अपेक्षित है, उनके लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा और इसे विधिक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा।

एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया

65. एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग-अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया' वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्ररूपों में दायर करने की इस प्रक्रिया को दायरकर्ता के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।

विवाद से विश्वास I - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राहत

66. कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।

विवाद से विश्वास II - संविदागत विवादों का निपटान

67. सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों, जिनमें माध्यस्थम् पंचाट को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है, के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। इसे विवाद की लंबितता के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकृत निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा।

राज्य सहायता मिशन

68. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन तीन वर्षों के लिए जारी रहेगा।

परिणाम आधारित वित्तपोषण

69. प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को, प्रायोगिक आधार पर, बेहतर तरीके से आबंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्तपोषण को 'इनपुट आधारित' से 'परिणाम-आधारित' में बदल दिया जाएगा।

ई-न्यायालय

70. न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, ₹ 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू किया जाएगा।

फिनटेक सेवाएं

71. भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं, के द्वारा सुगम बनाया गया है तथा और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजीलॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा।

निकाय डिजीलॉकर

72. एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरीटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।

5जी सेवाएं

73. 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ, स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म-कृषि, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों, और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी।

प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे

74. प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे (एलजीडी) एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्राकृतिक हीरों में होते हैं। एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर

निर्भरता घटाने के लिए एक आईआईटी को पांच वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

75. एलजीडी के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एलजीडी सीड्स पर सीमा-शुल्क की दर की समीक्षा करने का प्रस्ताव भाषण के भाग ख में दर्शाया जाएगा।

प्राथमिकता 5: हरित विकास

76. माननीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए "लाइफ" अथवा पर्यावरण के लिए जीवनशैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक *'पंचामृत'* तथा निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है।

हरित हाइड्रोजन मिशन

77. हाल में ₹ 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने, तथा भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना।

ऊर्जा परिवर्तन

78. इस बजट में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकताप्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए ₹ 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं

79. अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 एमडब्ल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधीयन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण

80. लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली ₹ 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी जिसमें ₹ 8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है।

हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम

81. व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

पीएम-प्रणाम

82. "पृथ्वी माता के पुनर्रूद्वार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम" राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।

गोबरधन स्कीम

83. गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए 'अवशिष्ट से आमदनी' संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200

कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं जिनमें कुल लागत ₹ 10,000 करोड़ होगी। मैं भाग ख में इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायो गैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का सीबीजी अधिदेश यथासमय लाया जाएगा। बायो-मास के संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी।

भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केंद्र

84. अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मिश्टी

85. वन-रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर, मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रूव पौधारोपण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगू पहल' मिश्ती की शुरुआत की जाएगी।

अमृत धरोहर

86. आर्द्रभूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अतिमहत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल के मन की बात में कहा है, *"अब हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है। जबकि 2014 से पहले, इनकी संख्या मात्र 26 थी....."* स्थानीय समुदाय संरक्षण के प्रयासों में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।

तटीय नौवहन

87. तटीय नौवहन को व्यवहार्यता अंतर निधियन के साथ सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) रीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि यह यात्रियों और माल-भाड़े दोनों के लिए परिवहन की ऊर्जा कुशल एवं कम लागत वाली प्रणाली है।

वाहनों का प्रतिस्थापन

88. प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण-हितैषी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए, मैंने केन्द्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की हैं। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एंबुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी।

प्राथमिकता 6 : युवा शक्ति

89. हमारे युवाओं को सशक्त करने के लिए और *'अमृत पीढ़ी'* के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए, हमने कौशलवर्द्धन पर केन्द्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0

90. अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझीदारी, और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई (कृत्रिम बुद्धिमता), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोनों, और सॉफ्ट स्किल जैसे नये युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म

91. निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशलवर्द्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा :

- मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने
- एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने, और
- उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

92. अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।

पर्यटन

93. एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से, कम से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा, सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा।

94. 'देखो अपना देश' पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्द्धन और उद्यमिता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा। यह मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधान मंत्री की अपील से शुरू की गयी थी। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए, 'स्वदेश दर्शन योजना' शुरू की गयी थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

यूनिटी मॉल

95. राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी-अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 7 : वित्तीय क्षेत्र

96. वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बडे पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है, सेवा डिलीवरी बेहतर और त्वरित हो गयी है, ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता सुगम हो गयी है। यह बजट इन सुधारों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी

97. पिछले वर्ष, मैंने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पस में ₹ 9,000 करोड जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त ₹ 2 लाख करोड़ का संपार्श्विक मुक्त गारंटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा, ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री

98. वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केन्द्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढेगी। एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा, और इसे आरबीआई के साथ परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र विनियम

99. *अमृत काल* की जरूरतों को पूरा करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन सुगम करने के लिए, यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियम निर्माण प्रक्रिया में और अनुषंगी निदेश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

100. अनुपालना को सरल बनाने, आसान करने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए, वे आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।

जीआईएफटी आईएफएससी

101. जीआईएफटी आईएफएससी में बिजनेस गतिविधियों को बढाने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :

- दोहरे विनियमन से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी
- आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो आईटी सिस्टम की स्थापना करना
- विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देना
- ट्रेड रि-फाइनेंसिंग के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना करना

- माध्यस्थम्, अनुषंगी सेवाओं के लिए, और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियम में संशोधन करना, और
- विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना।

डाटा दूतावास

102. डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए, हम जीआईएफटी आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे।

बैंकिंग क्षेत्र में शासन-व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना

103. बैंक शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढाने के लिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछेक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण

104. प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदंड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा।

केन्द्रीय डाटा संसाधन केंद्र

105. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

शेयरों और लाभांशों का पुन: दावा

106. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुन: दावा कर सकें, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

डिजिटल भुगतान

107. डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में, इनमें लेनदेन में 76 प्रतिशत की और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।

आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र

108. आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरणस्वरूप, मार्च 2025 तक, दो वर्ष की अवधि के लिए एक एककालिक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर ₹ 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।

वरिष्ठ नागरिक

109. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को ₹ 15 लाख से बढाकर ₹ 30 लाख कर दिया जाएगा।

110. मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए ₹ 4.5 लाख से बढाकर ₹ 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹ 9 लाख से बढाकर ₹ 15 लाख कर दिया जाएगा।

राजकोषीय प्रबंधन

राज्यों को पचास वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण

111. राज्यों के निमित्त संपूर्ण पचास वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े, या आबंटित किए जाएंगे:

- पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग,
- शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां,
- शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बांडों के लिए साख बन सके,
- पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधा,
- यूनिटी मॉल का निर्माण,
- बाल और किशोर पुस्तकालयों और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, और
- केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा

राज्यों के राजकोषीय घाटे

112. राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।

संशोधित अनुमान 2022 - 23

113. उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान ₹ 24.3 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां ₹ 20.9 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान ₹ 41.9 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग ₹ 7.3 लाख करोड़ है।

114. राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है, जो बजट अनुमान के अनुरूप है।

बजट अनुमान 2023-24

115. वर्ष 2023-24 में, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: ₹ 27.2 लाख करोड़ और ₹ 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां ₹ 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

116. राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में, मैंने यह घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। हमने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है, और मैं अपना इरादा दोहराती हूं कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के नीचे ले आएंगे।

117. वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां ₹ 11.8 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। सकल बाजार उधारियां ₹ 15.4 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है।

अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं।

भाग ख

अप्रत्यक्ष कर

118. मेरे अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव का उद्देश्य निर्यात को बढावा देना, घरेलू विनिर्माण में बढोतरी करना, घरेलू मूल्य वर्द्धन को बढाना, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है।

120. कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत कर संरचना, अनुपालना भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। मैं वस्त्रों और कृषि को छोडकर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम कर 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणामस्वरूप, खिलौने, साइकिल, ओटोमोबाइल और नाफ्था सहित कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है।

हरित गतिशीलता (मोबिलिटी)

120. मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए, मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स

121. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार के विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 के करीब 18,900 करोड रुपए मूल्य के 5.8 करोड यूनिट से बढकर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड रुपए मूल्य के 31 करोड यूनिट तक पहुँच गया है।

मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्द्धन को और बढाने के लिए, मैं कुछेक पूर्जों और कैमरा लैंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम - आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष के लिए जारी रखना प्रस्तावित करती हूँ।

122. इसी प्रकार, टेलिविजन के विनिर्माण में मूल्य वर्द्धन को बढावा देने के लिए, मैं टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

इलेक्ट्रिकल

123. शुल्क संरचना के व्युत्क्रमण में दोष सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत करने और इस उपकरण के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

रसायन और पेट्रोरसायन

124. रसायन उद्योग में डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मैं इस पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में भी सहायता मिलेगी और ऊर्जा पारगमन के हमारे प्रयास सुगम होंगे। एसिड ग्रेड फ्लोर्सपार पर बेसिक सीमा शुल्क को भी 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है ताकि घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग प्रतिस्पर्द्धी बना रहे। इसके अलावा, इपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरिन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

मरीन (समुद्री) उत्पाद

125. पिछले वित्तीय वर्ष में, समुद्री उत्पादों में उच्चतम निर्यात संवृद्धि दर्ज की गई जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषकों को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों विशेष रूप से झींगी (श्रिम्प) की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता और बढाने के लिए, श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है।

प्रयोगशाला-निर्मित हीरा

126. भारत प्राकृतिक हीरों की कटाई और तराशी में विश्व में अग्रणी है, और मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब तीन चौथाई हिस्से का योगदान करता है। प्राकृतिक हीरों के डिपोजिट में कमी से यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) की ओर बढ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, मैं उसके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करती हूँ।

बहुमूल्य धातु

127. सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर भी आयात शुल्क बढाने का प्रस्ताव करती हूँ, ताकि उन्हें सोने और प्लेटिनम के साथ संरेखित किया जा सके।

धातु

128. स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए, सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट को जारी रखा जा रहा है।

129. इसी प्रकार, द्वितीयक तांबा (कॉपर) उत्पादकताओं, जो मुख्यतया एमएसएमई क्षेत्र में हैं, के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने

हेतु कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को जारी रखा जा रहा है।

संमिश्रित रबर

130. शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढाकर, लेटेक्स को छोडकर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, किया जा रहा है।

सिगरेट

131. विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

132. मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है।

133. आय कर विभाग अनुपालना को आसान और निर्बाध बनाने के लिए कर-दाता सेवाओं में सुधार करने का सतत् प्रयास करता रहा है। हमारे कर दाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड रिटर्न संसाधित किए हैं; औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है; और 45 प्रतिशत रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और कर दाताओं की

सुविधा हेतु अगली पीढी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ करने की योजना बना रहे हैं।

एमएसएमई और पेशेवर

134. एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के इंजन हैं। 2 करोड रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर, प्रकल्पित (प्रिजंपटिव) कराधान का लाभ उठा सकते हैं। मैं इन सीमाओं को उन कर दाताओं के लिए क्रमश: 3 करोड रुपए और 75 लाख रुपए तक बढाने का प्रस्ताव करती हूँ जिनकी नकदी प्राप्तियां 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। इसके अलावा, एमएसएमई को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए, मैं उन पर व्ययित खर्चों के लिए कटौती को तभी अनुमत करने का प्रस्ताव करती हूँ जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो।

सहकारिता

135. सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधान मंत्री के ''सहकार से समृद्धि'' के लक्ष्य को साकार करने के लिए, और ''सहकार की भावना को अमृत काल की भावना से जोडने'' के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु, भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त, सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं।

136. प्रथमतः, दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितिय़ों को 15% की कम कारपोरेट कर दर का लाभ मिलेगा जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है।

137. द्वितीयत:, मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में

दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से सम्भावित राहत 10,000 करोड़ रुपये की होगी।

138. तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों, हेतु 2 लाख रू. प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूं।

139. इसी प्रकार से सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रू. की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है।

स्टार्ट-अप

140. देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्ट-अप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्ट-अप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31.03.2023 से बढ़ाकर 31.03.2024 तक करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा मैं स्टार्ट-अप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं।

अपीलें

141. आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लग-भग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूं। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों को जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सेलेक्टिव रहेंगे ।

कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना

142. कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54च के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रू. करने का प्रस्ताव करती हूं। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आय की आयकर छूट को सीमित करना है।

युक्तिसंगत बनाना

143. युक्तिसंगत बनाने और सरलीकरण से संबंधित कई प्रस्ताव हैं। आवासन, शहरो, नगरों और गांवों के विकास या किसी गतिविधि अथवा मामले को विनियामित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ अथवा राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में अन्य प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैः-

- ऑनलाइन खेल के लिए, टीडीएस 10,000/- रू. की न्यूनतम सीमा को हटाना तथा उससे संबंधित कर देयता प्रावधानों को स्पष्ट करना।
- सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाना;
- गैर-पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% करना; और
- मार्केट लिंकड डिबेन्चर से प्राप्त आय पर कराधान।

अन्य

144. वित्त विधेयक में अन्य मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- आईएफएससी, गिफ्ट सीटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाना;
- आयकर अधिनियम की धारा 276क के तहत गैर अपराधीकरण;
- आईडीबीआई बैंक के सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करना; और
- अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करना।

व्यक्तिगत आयकर

145. अब मैं वह बात कहना चाहती हूं जिसका सबको इंतजार है .... व्यक्तिगत आयकर। इस संबंध में मुझे पांच प्रमुख घोषणाएं करनी हैं। यह मुख्यत: हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लाभ के लिए है।

146. पहली घोषणा रिबेट संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रू. तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रू. तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रू. तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।

147. दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रू. से शुरू करते हुए छह आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर पांच करते हुए और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। कर की नई दरें निम्नानुसार हैं

0-3 लाख रूपए	शून्य
3-6 लाख रूपए	5%
6-9 लाख रूपए	10%
9-12 लाख रूपए	15%
12-15 लाख रूपए	20%
15 लाख रूपए से ऊपर	30%

148. इससे नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रू. की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000/- रू. का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का केवल 5% है। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे कर अर्थात् 60,000/- पर 25% की कटौती है। इसी प्रकार, 15 लाख रु. की आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रु. या उसकी आय के 10% भुगतान करना होगा, जोकि उसकी मौजूदा देयता अर्थात्, 1,87,500/- से 20% रु. की कटौती है।

149. मेरा तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है। जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूं। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति, जिसकी आय 15.5 लाख रु. या इससे अधिक है, को परिणामस्वरूप 52,500 रु. का लाभ मिलेगा।

150. व्यक्तिगत आय कर में मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर की दर, जो 42.74% है, से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी।

151. अंततः, गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रु. तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000/-रु. प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप, मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रु. करने का प्रस्ताव करती हूं।

152. हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं। तथापि, नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा।

153. इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूं।

154. इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रु. जिसमें से 37,000 करोड़ रु. प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रु. अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग 35,000 करोड़ रु. होगा।

155. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूं।

156. जय हिंद।

*****

बजट भाषण 2023-24 के भाग 2 का अनुबंध

प्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन

क. नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था के तहत राहत

क.1 व्यक्ति और एचयूएफ के लिए वित्त अधिनियम 2020 में शुरू की गई नई कर व्यस्था को अब डिफॉल्ट व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।

क.2 यह व्यवस्था एओपी (सहकारी के अलावा) बी.ओ.आई. और ए.जे.पी. के लिए भी डिफॉल्ट व्यवस्था बन जाएगी।

क.3 इस नई व्यवस्था के तहत कर लगवाने के लिए यदि कोई व्यक्ति, एचयूएफ, एओपी(सहकारी के अलावा) बी.ओ.आई. और ए.जे.पी. तैयार नहीं होता है तो वह पुरानी व्यवस्था के तहत कर लगवाने का विकल्प चुन सकता है। उन व्यक्तियों के लिए जिनकी "व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्तियां" शीर्ष के तहत आय हैं, और जिन्होंने पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुना है तो उक्त विकल्प को केवल एक बार बदल सकते हैं और इसके बाद उन पर सतत रूप से नई व्यवस्था के तहत कर लगाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी "व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्तियां" शीर्ष के तहत आय नहीं हैं वे प्रत्येक वर्ष पुरानी व्यवस्था के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

क.4 नई व्यवस्था के तहत नए स्लैब और कर दरों के साथ निम्नानुसार पर्याप्त राहत प्रस्तावित की गई है:

कुल आय (रू.)	दर (%)
3,00,000 तक	शून्य
3,00,001 से 6,00,000 तक	5
6,00,001 से 9,00,000 तक	10
9,00,001 से 12,00,000 तक	15
12,00,001 से 15,00,000	20
15,00,000 से अधिक	30

क.5 नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के तहत रिबेट के कारण 5,00,000 रु. तक की कुल आय वाला निवासी व्यक्ति किसी भी कर का भुगतान नहीं करता है। नई व्यवस्था के तहत निवासी व्यक्ति के लिए इस रिबेट को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यदि उनकी कुल आय 7,00,000 रु. तक की है तो उन्हें कर का भुगतान नहीं करना पड़े।

क.6 50,000 रुपए की मानक कटौती, वेतनभोगी व्यक्ति को, और 15,000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती, वर्तमान में केवल पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत अनुज्ञात है। इन दो कटौतियों को नयी व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुज्ञात करने का प्रस्ताव किया जाता है।

क.7 पुरानी व्यवस्था और नयी व्यवस्था, दोनों के अंतर्गत आय कर अधिभार 50 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक की आय पर 25 प्रतिशत और 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर 37 प्रतिशत है। नयी व्यवस्था के अंतर्गत उन व्यक्तियों, एचयूएफ, एओपी (सहकारी संघों को छोड़कर), बीओआई और एजेपी के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि सभी अधिभार एकसमान होंगे सिवाय इसके कि 37 प्रतिशत का अधिभार दर प्रयोज्य नहीं होगा। 2 करोड़ रुपए से अधिक आय के लिए उच्चतम अधिभार 25 प्रतिशत होगा। इससे अधिकतम दर लगभग 42.7 प्रतिशत से कम होकर लगभग 39 प्रतिशत रह जाएगी। पुरानी व्यवस्था के विकल्प का चयन करने वालों पर अधिभार में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

क.8 किसी कर्मचारी (केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी के अलावा) के मामले में सेवानिवृत्ति के समय 10 महीने के औसत वेतन तक अर्जित अवकाश के नकदीकरण को वर्तमान अधिसूचना के अनुसार आयकर अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 10 के खंड

	(10कक) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत छूट दी गई है। वर्तमान में 3 लाख रूपए की अधिकतम धनराशि की छूट प्रदान की जा सकती है। इस सीमा को 25 लाख रूपए तक बढाने के लिए अधिसूचना जारी किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
ख.	**सामाजिक आर्थिक कल्याण के उपाय**
ख.1	**सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को समय पर भुगतान का संवर्द्धन** सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को समय पर भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे उद्यमों को किए जाने वाले भुगतान को इस अधिनियम की धारा 43ख के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, ऐसे भुगतानों के लिए कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है। इसे प्रोद्भवन आधार पर तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब भुगतान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के तहत अधिदेशित समय के भीतर किया जाता है।
ख.2	**अग्निपथ स्कीम, 2022** अग्निपथ स्कीम, 2022 में नामांकित अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कॉर्पस कोष से प्राप्त भुगतान को करों से छूट देने का प्रस्ताव है। अग्निवीर की सेवा निधि खाते में अग्निवीर द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा किए गए अंशदान को उसकी कुल आय की गणना से कटौती अनुज्ञात किए जाने का प्रस्ताव है।
ख.3	**शर्करा सहकारी समितियों को पुरानी मांग से राहत** यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि शर्करा सहकारी समितियों को, निर्धारण वर्ष 2016-17 के पूर्व के वर्षों के लिए, शर्करा की खरीद पर किए गए किसी व्यय की कटौती के दावे को अस्वीकृत किया गया है तो निर्धारण अधिकारी को एक आवेदन दिया जा सकता है जो ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य तक ऐसी कटौती की अनुमति देने के पश्चात् संबंधित पूर्व वर्ष की आय की पुनर्गणना करेगा।

ख.4 टीडीएस रहित नकदी आहरण करने के लिए सहकारी समितियों हेतु अधिकतम सीमा बढ़ाना

सहकारी समितियों को बिना टीडीएस कटौती के अध्यधीन एक वर्ष में 3 करोड़ रुपये तक के नकद आहरण हेतु सक्षम करने का प्रस्ताव है।

ख.5 प्राथमिक सहकारी समितियों के विरुद्ध नकद ऋण/ संव्यवहारों के लिए जुर्माना

यह प्रावधान करने के लिए कि जहाॅ किसी प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य से जमा राशि स्वीकार की जाती है अथवा इसके सदस्य द्वारा नकद में किसी प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लिया जाता है और यदि ऐसे ऋण या नकद में जमा की गई राशि 2 लाख रुपये से कम है तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस निमित अधिनियम की धारा 269धध में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है । इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 269न को यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि जहाँ किसी प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को इसके सदस्य द्वारा जमा की गई राशि का नकद में पुनर्भुगतान किया जाता है अथवा इसके सदस्य द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ऐसे ऋण का पुनर्भुगतान किया जाता है, यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि नकद में 2 लाख रुपये से कम है तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ख.6 स्टार्ट अप को हानियों को अग्रेणित करने या समंजन करने के लिए राहत

पात्र स्टार्ट अप को अग्रेणित हानियों का समंजन करने के लिए कम से कम 51 प्रतिशत की शेयरधरिता की शर्त से छूट दी जाती है यदि उस कंपनी के सभी शेयरधारक उन शेयरों को धारित करना

जारी रखते हैं। वर्तमान में यह छूट ऐसे स्टार्ट अप के निगमन से 7 वर्षों की अवधि के दौरान व्ययित हानियों पर लागू होती है। इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

ख.7 छूट हेतु पात्र स्टार्ट अप के लिए निगमन तारीख का विस्तार

कुछेक स्टार्ट अप कुछ कर लाभ के लिए पात्र होते हैं यदि वे 01 अप्रैल 2023 से पूर्व निगमित किए गए हैं। ऐसे पात्र स्टार्ट अप की निगमन की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाने, अर्थात् 1 अप्रैल 2024 से पूर्व तक किए जाने का प्रस्ताव है।

ख.8 स्वर्ण से इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण पावती

भौतिक स्वर्ण से इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति में रूपांतरण और इसके विपरीत को हस्तांतरण न मानने और इस पर कोई पूंजी अभिलाभ नहीं लगने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे स्वर्ण के इलेक्ट्रानिक समतुल्य इलेक्ट्रॉनिक में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

ख.9 आईएफएससी को प्रोत्साहन

आईएफएससी में निधियों को अंतरित करने में कुछ कर छूटें दी गई हैं, यदि यह अंतरण 31.03.2023 से पहले का हो। इस अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, किसी विदेशी बैंकिंग इकाई के साथ निष्पादित की गई विदेशी लिखतों से व्युत्पन्न किसी प्रकार की वितरित आय को भी कुछ शर्तों के अधीन छूट देने का प्रस्ताव है।

ख.10 विकास प्राधिकरणों आदि को छूट

एक निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग जो कंपनी न हो, जो केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया हो, जिसका गठन आवास या आयोजना बनाने, विकास या शहरों/नगरों और गांवों का सुधार करने के प्रयोजन को पूरा करने या किसी क्रियाकलाप या विषय को विनियमित करने के लिए, चाहे वह वाणिज्यिक क्रियाकलाप क्यों न करता हो, उसके लिए होने वाली किसी आय को छूट देने का प्रस्ताव है।

ख.11 कतिपय महत्वपूर्ण विनिवेश को सुसाध्य बनाना

कतिपय महत्वपूर्ण विनिवेशों को सुसाध्य बनाने के लिए यदि किसी महत्वपूर्ण विनिवेश के बाद एक या अधिक बैंकिंग कंपनी का किसी अन्य बैंकिंग संस्था या कंपनी में महत्वपूर्ण विनिवेश के 5 वर्षों के भीतर सम्मामेलन किया जाता है तो सम्मामेलन के मामले में संचित हानियों और अविलयित मूल्यह्रास भत्ते को अग्रेणीत करना अनुमत बनाने का प्रस्ताव है। 'महत्वपूर्ण विनिवेश' की परिभाषा में बदलाव करने का भी प्रस्ताव है।

ख.12 नई विनिर्माण सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए 15% रियायती कर

सहकारिता क्षेत्र में विनिर्माण में विकास को बढ़ावा देने के लिए 01.04.2023 को या इसके बाद गठित नई सहकारिता समिति, जो 31.03.2024 तक विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करती है और किसी विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती का लाभ नहीं लेती है, उसके लिए नई विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध विकल्प की तरह ही 15 प्रतिशत की रियायती दर पर कर भुगतान करने का विकल्प चुनना अनुमत करने का प्रस्ताव है।

ग. अनुपालना में सुगमता

ग.1 प्रारंभिक व्यय के परिशोधन पर कटौती का दावा करने में सुगमता

वर्तमान में कुछ प्रारंभिक व्ययों पर परिशोधन का दावा करने का कार्य या तो निर्धारिती द्वारा या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी संस्था द्वारा किया जाता है। इन व्ययों को परिशोधन दावा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए इन व्ययों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा कार्य करने संबंधी शर्त को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। निर्धारिती द्वारा ऐसे व्ययों को रिपोर्ट करने के लिए प्रपत्र को निर्धारित किया जाएगा।

ग.2 संभावित कराधान स्कीमों के लिए प्रारंभिक सीमाएं बढ़ाना

अनुपालन आसान बनाने और नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पात्र व्यावसायों के लिए परिकल्पित कराधान स्कीम के निमित प्रारंभिक सीमाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है। इनके लिए 2 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए और विशिष्टीकृत व्यवसायों के लिए 50

	लाख रुपए से 75 लाख रुपए करना प्रस्तावित है। बढ़ी हुई सीमा उस मामले में लागू होगी जहां वर्ष के दौरान नकद में प्राप्त राशि या कुल राशि कुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक न हो।
ग.3	**कम या शून्य दर पर स्रोत पर कर कटौती के दायरे को बढ़ाना** व्यावसायी न्यासों द्वारा अधिनियम की धारा 194ठखक के अधीन कटौती के निमित्त अपेक्षित कर राशि पर कम या शून्य दर पर स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कर दाताओं को अनुमत करने का प्रस्ताव है।
घ.	**कराधान को व्यापक और सुदृढ़ बनाना/कर परिवर्जन का रोधन**
घ.1	मानित आय-अर्जन के प्रावधान को 01 अप्रैल, 2023 से साधारणतः निवासी नहीं रहे किसी व्यक्ति के लिए बिना प्रतिफल के निवासियों से प्राप्त की गई पचास हजार रुपए से अधिक की राशि के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
घ.2	प्रस्ताव है कि भारत में स्थापित समाचार एजेंसियों को समाचार एकत्रित करने और वितरित करने के लिए कर छूट दिए जाने का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 से समाप्त किया जाए।
घ.3	प्रस्ताव है कि बिजनस ट्रस्ट द्वारा युनिट होल्डर के हाथों में वितरण की गई आय (लाभांश, ब्याज या किराया, जो पहले से ही कर योग्य है, से इतर) पर कर लगाया जाए, जिस पर वर्तमान में युनिट होल्डर के साथ-साथ बिजनस ट्रस्ट दोनों की ओर से कर-परिवर्जन होता है।
घ.4	सूचीबद्ध ऋण-पत्रों पर ब्याज भुगतान पर वर्तमान में उपलब्ध टीडीएस से छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव है।
घ.5	अनिवासियों के लिए संभावित स्कीमों के संदर्भ में, प्रकल्पित आय के बही-खातों के अनुसार आंकलित की गई हानि की अगले लाभ से हानि पूर्ति या प्रतिपूर्ति को रोकने का प्रस्ताव है।
घ.6	ऑनलाइन खेलों (गेम्स) के लिए ऑनलाइन गेमों में मिली जीत की निवल राशि के आहरण पर या वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस और कराधान का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, टीडीएस 10,000 रुपए की निम्नतम सीमा से मुक्त होगा। लॉटरी, क्रॉसवर्ड

पज्जल गेमों आदि के लिए टीडीएस के लिए निम्नतम सीमा 10,000 रुपए बनी रहेगी परंतु किसी एक वित्त वर्ष के दौरान मिली कुल जीत पर लागू होगी।

घ.7 शिक्षा और चिकित्सीय उपचार के लिए विदेशी विप्रेषित धन पर टीसीएस की दर 7 लाख रुपए से अधिक की विप्रेषित धन पर 5 प्रतिशत बनाए रखने का प्रस्ताव है। इसी तरह, वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के माध्यम से शिक्षा के प्रयोजन से विदेशी विप्रेषित धन की राशि पर टीसीएस की दर 7 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 0.5 प्रतिशत ही रखने का प्रस्ताव है। तथापि, एलआरएस के अंतर्गत अन्य उद्देश्यों तथा विदेशी दौरा कार्यक्रम की खरीद के लिए विदेशी विप्रेषित धन हेतु टीसीएस की दरों को 5% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव किया जाता है।

घ.8 पूंजीगत लाभों की आय को आवासीय संपत्ति पर निवेश करते हुए इन पर लगने वाले कर से बचा जा सकता है। इसे 10 करोड़ रू. तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।

घ.9 बाजार आधारित डिबेंचरों से होने वाली आय को लागू दरों पर अल्प-अवधि के पूंजीगत लाभों के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव है।

घ.10 वस्तु सूची का अल्प मूल्यांकन के कारण राजस्व के जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपबंधों का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

घ.11 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियों (यूलिप को छोड़कर) के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रू. से अधिक है, तो केवल उन पॉलिसियों, जिनका प्रीमियम 5 लाख रू. तक है, से होने वाली आय पर छूट देने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर प्रदान की गई कर छूट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

घ.12 संपत्ति के संयुक्त विकास के मामले में पूंजीगत लाभों का आकलन करने हेतु चेक आदि से प्राप्त राशि को भी प्रतिफल के रूप में

	शामिल करते हुए प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।
घ.13	किसी संपत्ति को खरीदने या उसमें सुधार करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज का भुगतान का कतिपय शर्तों के अध्यधीन आय से कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है, इसे अंतरण के दौरान खरीद या सुधार की लागत के भाग के रूप में भी कटौती के रूप में शामिल किया जा सकता है, जिससे कि पूंजीगत लाभ में कमी आती है। खरीद या सुधार की लागत में ब्याज का भुगतान, जिसे कटौती के रूप में पहले शामिल किया गया है, उसको दुबारा शामिल न करने का प्रस्ताव है।
घ.14	अमूर्त परिसंपत्तियां या अधिकार जैसी कुछ ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनकी खरीद के लिए किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता और इसके अंतरण से आय का सृजन हो सकता है। इनकी खरीद की लागत को शून्य के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है।
ङ	**अनुपालन में सुधार करना और कर प्रशासन**
ङ.1	अंतरिम निपटान बोर्ड द्वारा आदेशों में सुधार के संबंध में, अंतरिम निपटान बोर्ड को उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, जब किसी आदेश को संशोधन करने या आवेदन करने की समय-सीमा दिनांक 01.02.2021 को या इससे पहले लेकिन 01.01.2022 से पहले समाप्त होती है, ऐसी समय-सीमा का विस्तार दिनांक 30.09.2023 तक करने का प्रस्ताव किया जाता है।
ङ.2	आयुक्त (अपील) के पास लंबित कतिपय अपीलों के निपटान में तेजी लाने के लिए संयुक्त आयुक्त के स्तर से नीचे के किसी प्राधिकारी द्वारा या उसके अनुमोदन से पारित कुछ आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों हेतु संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त [जेसीआईटी (अपील)] के स्तर पर नए अपील प्राधिकारी का प्रस्ताव किया जाता है। इस संबंध में कतिपय संबंधित और परिणामी संशोधन का भी प्रस्ताव किया जाता है।

ङ.3 दस्तावेजों और सूचना को प्रस्तुत करने के लिए अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को दी जाने वाली आवश्यक न्यूनतम समयावधि को 30 दिन से 10 दिन तक घटाने का प्रस्ताव किया जाता है।

ङ.4 इस अधिनियम की कतिपय धाराओं के तहत आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष पारित दंडात्मक आदेशों के विरूद्ध अपील का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा इस अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित किसी आदेश और इसके संबंध में किसी प्रकार के परिशोधन आदेश भी अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील योग्य होगा। इसके अलावा, ऐसी सभी श्रेणियों के मामलों, जिनके विरुद्ध अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकती है, प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन दायर किए जाने के कार्य को सक्षम बनाने का प्रस्ताव है।

ङ.5 तलाशियां और अभिग्रहण से संबंधित अधिनियम की धारा 132 में प्राधिकृत अधिकारी को तलाशी के समय कुछ विशिष्ट विषय विशेषज्ञों जैसे डिजिटल फोरेंसिक पेशेवरों, मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता लेने और ताला बनाने वाला, कारपेंटरों की सहायता लेने तथा निर्धारिती द्वारा संपत्ति के रूप में धारित अघोषित आय का सटीक आंकलन करने में सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने हेतु संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ङ.6 वित्त अधिनियम, 2022 के तहत अंतःस्थापित इस अधिनियम की धारा 170क को कारबार पुनर्विन्यास का आदेश जिस निकाय पर लागू होता है, उसके द्वारा संशोधित विवरणी दायर किए जाने और इस प्रकार संशोधित विवरणी दायर किए जाने के मामलों में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन हेतु उपबंध के स्पष्टीकरण हेतु प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

ङ.7 यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष, जिसमें कोई अद्यतन की गई विवरणी दायर की जाती है, से 12 महीने की अवधि के भीतर एक निर्धारण आदेश पारित किया जाए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि जिन मामलों में अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी या अधिनियम की धारा 132क के

अंतर्गत अध्यपेक्षा की गई है, उनमें लंबित निर्धारणों की परिसीमा बारह महीनों तक बढ़ा दी जाए।

ङ.8 केंद्र सरकार को इस बात की शक्ति देने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि वे ऐसी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में किसी भी समय सक्षम होने के लिए योजनाओं के बेहतर ई-सत्यापन, विवाद समाधान, अग्रिम विनिर्णयों, अपील और शास्ति के संबंध में पहले से अधिसूचित योजनाओं में आशोधन कर सकें।

ङ.9 यह प्रस्ताव किया जाता है कि पुनर्निर्धारण के लिए विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करने के लिए समय को सीमित किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह उपबंध करने के लिए भी प्रस्ताव किया जाता है कि जिन मामलों में तलाशी संबंधी सूचना किसी वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद उपलब्ध हो, उनमें अधिनियम की धारा 148 के अतंर्गत निर्धारण/पुनर्निर्धारण आदि के लिए नोटिस जारी करने के लिए पन्द्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जाएगी। यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव भी किया जाता है कि अनुमोदन प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक होंगे।

ङ.10 यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि खाताधारक द्वारा प्रस्तुत मिथ्या या अशुद्ध सूचना की वजह से विहित रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लेनदेन के विवरण में कोई अशुद्धि होती है तो 5,000 रुपए की शास्ति लगाए जाने का उपबंध किया जाए।

ङ.11 यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस बात का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 271ग और 276ख में संशोधन किया जाए कि जहां टीडीएस में व्यतिक्रम वस्तु रूप में लेनदेन से संबंधित हो उनमें शास्ति लगाई जाए और अभियोजन किया जाए।

ङ.12 यह प्रस्ताव किया जाता है कि बेनामी अधिनियम के अन्तर्गत, न्यायिक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की समयावधि प्रारम्भकर्ता अधिकारी या पीडित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्त किए जाने के 45 दिनों की अवधि के भीतर होगी। अनिवासियों के मामले में अपील दायर करने हेतु क्षेत्राधिकार के निर्धारण की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय की परिभाषा को भी संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

च.	**युक्तिसंगत बनाना**
च.1	विदेशी सहयुक्त उद्यम को ब्याज भुगतान पर ब्याज कटौती-योग्यता पर प्रतिबंध उन पर लागू नहीं होता है जो बैंकिंग और बीमा के व्यवसाय में हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह लाभ अधिसूचित की जाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को भी दिया जाए।
च.2	अनिवासी को कतिपय आय के भुगतान पर टीडीएस वर्तमान में 20% की दर पर है जबकि कर संधि दर कमतर है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 196क के अंतर्गत ऐसी आय पर टीडीएस के समय कर संधि के लाभ की अनुमति दी जाए।
च.3	वर्तमान में, गैर-पैन मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना से कर-योग्य हिस्से की निकासी पर टीडीएस दर 30% है। यह प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 20% तक लाया जाए, जैसा कि अन्य गैर-पैन मामलों में है।
च.4	कभी-कभी, एक पूर्ववर्ती वर्ष की आय के लिए कर की कटौती बाद में की जाती है जबकि उस पर कर की अदायगी पहले ही पूर्ववर्ती वर्ष में की जा चुकी होती है कि ऐसे करदाताओं को पूर्ववर्ती वर्ष में इस टीडीएस के प्रति क्रेडिट का दावा करने की अनुमति दिए जाने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।
च.5	यदि प्राप्तकर्ता नॉन-फाइलर हो यानि जिसने पूर्ववर्ती पिछले वर्ष के आय की अपनी विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत नहीं की है और टीडीएस एवं टीसीएस का योग 50,000 रुपए या अधिक हो तो उच्चतर टीडीएस/टीसीएस दर लागू होती है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जिसके लिए ऐसे पिछले वर्ष के लिए आय की विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है और जो केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
च.6	यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अद्यतनीकृत विवरणी (रिटर्न) की दशा में अदा किए गए अग्रिम कर की धनराशि धारा

234ख के अंतर्गत देय ब्याज की गणना करने के लिए सिर्फ एक बार घटाई जाए।

च.7 यह प्रस्ताव किया जाता है कि शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक के प्रतिफल (शेयर एप्लीकेशन मनी/शेयर प्रीमियम) की कर-योग्यता अनिवासियों सहित सभी निवेशकों पर लागू की जाए।

च.8 यह संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए सौकर्य के संबंध में परिलब्धि के मूल्य की गणना करने के लिए नियमों में एकसमान कार्यपद्धति विहित की जाए।

च.9 यह प्रस्ताव किया जाता है कि एसईजेड यूनिट के लिए वस्तुओं या सेवाओं के निर्यातों से मिली प्राप्तियों को भारत में लाने के लिए समय-सीमा का उपबंध किया जाए। निर्यात आमदनी पर कटौती का दावा करने के लिए आयकर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी किया जाता है।

च.10 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के वर्गीकरण में परिवर्तन किए जाने की वजह से आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि अधिनियम में ऐसे वर्गीकरणों को उसके साथ संरेखित किया जाए।

च.11 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 28 के अतर्गत कर-योग्यता के लिए और अधिनियम की धारा 194द के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए लाभ नकद रूप में भी हो सकते हैं।

च.12 यह प्रस्ताव किया जाता है कि धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दी गई छूट के संबंध में निम्नलिखित के लिए संशोधन किए जाएं :-

- कार्पस की पुनःपूर्ति पर और ऋणों/उधारियों की चुकौती पर कर कार्रवाई के बारे में सुस्पष्टता प्रदान करना;
- अन्य न्यासों को संदान पर जिनमें सिर्फ उसके 85% को एप्लीकेशन के रूप में माना जाना;
- छूट को वापस लेने के संबंध में अनावश्यक उपबंधों का लोप करना;
- कुछ मामलों में अनंतिम और नियमित पंजीकरण को संयोजित करना;

- विनिर्दिष्ट उल्लंघन के कार्यक्षेत्र को आशोधित करना;
- उस स्थिति में परिसंपत्ति पर कर के भुगतान के लिए उपबंध करना, जब एक न्यास अनंतिम छूट प्रदान करने के बाद छूट के लिए और छूट अवधि बीतने के बाद पुन:छूट के लिए आवेदन नहीं करता है;
- कतिपय प्ररूपों को प्रस्तुत करने के लिए समय का सुयोजन करना;
- यह स्पष्ट करना कि छूट के लिए दावा करने के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए दिए गए समय में अद्यतनीकृत रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु दिया गया समय शामिल नहीं होगा।

च.13 यह प्रस्ताव किया जाता है कि कतिपय नाम-आधारित निधियों का अधिनियम की धारा 80छ से लोप कर दिया जाए, जिसमें ऐसी निधियों के प्रति संदान के संदानकर्ता की आय से कटौती करने का प्रावधान किया गया है।

च.14 यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी व्यक्ति को धन वापसी देय हो तो ऐसे रिफंड को मौजूदा मांग के प्रति समंजित किया जाए, और यदि ऐसे मामले में निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही लंबित हो तो देय धन वापसी निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख तक रोक दिया जाए।

छ. अन्य

छ.1 यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 88 और धारा 10 के कतिपय खंडों का लोप कर दिया जाए जो अब प्रवृत्त नहीं हैं।

छ.2 यह प्रस्ताव किया जाता है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) के लिए छूट 30 सितम्बर 2023 तक बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार को एसयूयूटीआई के प्रशासक के पद की रिक्ति की तारीख अधिसूचित करने के लिए सक्षम बनाने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

छ.3 यह प्रस्ताव किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2023 से धारा 276क के अंतर्गत परिसमापकों द्वारा लोप के कतिपय कृत्यों को आपराधिकता से मुक्त कर दिया जाए।

बजट भाषण 2023-24 के भाग ख का अनुबंध

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन

क.	सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन
क.1	**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन** दो वर्षों की वैधता अवधि से कुछेक श्रेणियों के सशर्त सीमाशुल्क छूटों को हटाने के लिए धारा 25(4क) में संशोधन किया जा रहा है जैसे कि बहुपक्षीय या द्विपक्षीय व्यापार करार; अंतरराष्ट्रीय करारों, संधियों या अभिसमयों के अधीन बाध्यताएं, जिनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, राजनयिकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंध में बाध्यताएं भी हैं; सांविधानिक प्राधिकारियों के विशेषाधिकार; विदेशी व्यापार नीति के अधीन स्कीमें; केन्द्रीय सरकार की ऐसी स्कीमें, जिनकी दो वर्ष से अधिक विधिमान्यता है; उपहार या वैयक्तिक सामान के रूप में पुनर्आयात किए गए माल, अस्थायी आयात या आयातित माल; तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन कोई सीमाशुल्क, जिसके अंतर्गत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क से भिन्न, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर सम्मिलित है। आवेदन दायर करने की तारीख से नौ महीने की समय सीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए धारा 127ग में संशोधन का प्रस्ताव निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए किया जा रहा है।
क.2	**प्रतिपाटन शुल्क, प्रतिशुल्क और रक्षोपाय से संबंधित उपबंधों में संशोधन** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9, 9क, 9ग में संशोधन किया जा रहा है ताकि इन उपबंधों के उद्देश्यों और दायरे को स्पष्ट किया जा सके। इन्हें 1 जनवरी, 1995 से भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य बनाया जा रहा है।

क.3	**सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन** कुछ टैरिफ मदों पर दर वृद्धि के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन प्रस्तावित है, जो 2 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगा और अन्य टैरिफ मदों में भी दर युक्तिकरण के लिए बिल स्वीकृति की तारीख से संशोधन प्रस्तावित है। एचएसएन 2022 संशोधनों के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नई टैरिफ लाइन बनाने का भी प्रस्ताव है, जो मिलेट आधारित उत्पादों, नरम पनीर, औषधीय पादपों और उनके भागों, कुछेक कीटनाशकों, टेलीकॉम उत्पादों, सिंथेटिक हीरे, कपास, उर्वरक ग्रेड यूरिया आदि को बेहतर पहचान करने में मदद करेंगे। इससे उपर्युक्त वस्तुओं की बेहतर पहचान करके व्यापार सुसाध्य बनाने में सहायता मिलेगी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से रियायत आयात शुल्क का लाभ लेने संबंधी स्पष्टता आएगी और इस प्रकार से कम समय लगेगा। ये परिवर्तन 01.05.2023 से लागू होंगे।
क.4	**सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन** पहली अनुसूची (आयात टैरिफ) के शीर्षक 1202 के तहत प्रविष्टियों को अनुरूप बनाने के लिए दूसरी अनुसूची (निर्यात टैरिफ) में संशोधन किया जा रहा है।
ख.	**जीएसटी कानूनों में विधायी परिवर्तन**
ख.1	**गैर-अपराधिकता** अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयोजन से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 और धारा 138 में संशोधित किया जा रहा है- • जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक कर राशि बढ़ाना। इसमें माल या सेवाएं अथवा दोनों की आपूर्ति किए वगैर वीजक जारी करने के अपराध को शामिल नहीं किया गया है;

- प्रशमन राशि को कर राशि के वर्तमान 50 प्रतिशत से 150 प्रतिशत के दायरे से घटाकर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के दायरे में लाना;
- जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (छ), (ञ) और (ट) के तहत विनिर्दिष्ट कतिपय अपराधों को गैर-अपराधिकता बनाना अर्थात
    - किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों निर्वहन में बाधा डालना या रोकना;
    - साक्ष्य सामग्रियों के साथ जानबूझकर छेड़खानी करना;
    - सूचना न दे सकना।

ख.2 वृहत उद्यमों के लिए ई-कॉमर्श सुसाध्य बनाना

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के द्वारा अन्तरा राज्य माल की आपूर्ति करने के लिए गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और समष्टि करदाताओं को समर्थ बनाने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 10 एवं धारा 122 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन संशोधन किया जा रहा है।

ख.3 जीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन

कतिपय लेनदेन/क्रियाकलापों जैसाकि कराधेय प्रदेश के बाहर की जगह से कराधेय प्रदेश के बाहर दूसरी जगह माल की आपूर्ति करना, निकासी के पहले माल गोदाम में रखे माल की जीएसटी के दायरे के बाहर खुले समूह में होने वाली बिक्री को शामिल करने के लिए दिनांक 01.02.2019 से सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III में पैरा 7, 8(क) और 8(ख) अंतःस्थापित किए गए। दिनांक 01.07.2017 से 31.01.2019 की अवधि के दौरान ऐसे लेनदेन/ क्रियाकलापों की कराधेयता के संबंध में संदेह और अस्पष्टता समाप्त करने के लिए 01.07.2017 से उक्त पैरों को प्रभावी बनाने के लिए उपबंध अंत-स्थापित किए जा रहे हैं। तथापि, ऐसे मामलों में जहां 01.07.2017 से 31.01.2019 की अवधि के दौरान ऐसे लेनदेन/क्रियाकलापों के संबंध में पहले से चुकाए गए किसी कर के मामले में कोई चुकता कर की वापसी उपलब्ध नहीं होगी।

ख.4 जीएसटी के तहत विवरणी दायर करना

जीएसटी अधिनियम, 1917 की धारा 37,39,44 और 52 में संशोधन किया जा रहा है ताकि संगत विवरणी/विवरण फाइल करने की निर्धारित तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक विवरणी/विवरण फाइल करने पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

ख.5 जीएसटी से संबंधित व्यय के लिए निविष्टि कर क्रेडिट

जीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे कि कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं अथवा दोनों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उसके दायित्व से संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग की मंशा से बनाया गया।

ख.6 सूचना साझा करना

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपनी विवरणी या पंजीकरण के लिए आवेदन या बाहरी आपूर्ति विवरण या इलेक्ट्रोनिक वीजक जेनरेट करने के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किसी अन्य सिस्टम में अपलोड किया गया ब्यौरा या ई-वे बिल या सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत सूचना को साझा करने में समर्थ बनाने के लिए जीएसटी अधिनियम, में एक नई धारा 158क अंतःस्थापित की जा रही है।

ख.7 आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2 खंड (16) में संशोधन

ऑनलाइन सूचना प्राप्ति और डाटाबेस की सुलभता और वाणिज्य, उद्योग या कोई अन्य व्यवसाय या पेशा को छोड़कर की शर्तों को हटाकर "गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" की परिभाषा की पुनरीक्षा करने हेतु आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 खंड (16) में संशोधन किया जाता है ताकि प्राप्तकर्ता गैर-पंजीकृत व्यक्ति, जो कराधेय प्रदेश में स्थित है, को गैर-कराधेय प्रदेश में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा कर योग्य ओआईडीएआर सेवा दी जाने के लिए उपबंध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (VI) की शर्तों के आधार पर पंजीकृत व्यक्ति उक्त खंड के प्रयोजन से गैर-पंजीकृत व्यक्ति माना जाएगा।

ख.8 ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस की सुलभता या पुनःप्राप्ति सेवाएं

"ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस की सुलभता या पुनःप्राप्ति सेवाएं की

परिभाषा की पुनरीक्षा करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (17) में संशोधन किया जा रहा है जिससे उक्त आपूर्ति करने की शर्तों को हटाया जा सके जो स्वचलित है और इसमें मानव का न्यूनतम हस्तक्षेप शामिल है।"

ख.9 कतिपय मामलों में आपूर्ति का स्थान

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (8) के परन्तुक को हटाया जा रहा है ताकि जहां सेवाओं का आपूर्तिकर्ता और सेवाओं को प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है ऐसे मामले में आपूर्ति का स्थान विनिर्दिष्ट किया जा सके चाहे माल का गंतव्य स्थान कहीं भी क्यों न हो।

ग. सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन

ग.1. आधारभूत सीमा शुल्कों में कटौती करने का कारण लागत मूल्य में कमी करना, मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी, निर्यात प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी, विपरीत शुल्क ढांचे को इस तरह से बदलना जिससे घरेलू उत्पादन इत्यादि में बढ़ोतरी की जा सके [दिनांक 02.02.2023 से प्रभावी]

क्रसं.	पण्य वस्तु	से	तक
I.	**कृषि उत्पाद**		
1.	(पेकान नट्स) भिदुरकाष्ठ फल	100%	30%
2.	एक्वाटिक फीड के विनिर्माण के लिए फिश मील	15%	5%
3.	एक्वाटिक फीड के विनिर्माण के लिए क्रिल मील	15%	5%
4.	एक्वाटिक फीड के विनिर्माण के लिए मत्स्य लिपिड तेल	30%	15%
5.	एक्वाटिक फीड के विनिर्माण के लिए शैवालीय प्राइम (आटा)	30%	15%
6.	एक्वाटिक फीड के विनिर्माण के लिए पूर्वमिश्रित खनिज और विटामिन	15%	5%

7	एपीक्लोहाइड्रिन के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा ग्लिसरीन	7.5%	2.5%
8	औद्योगिक रसायन के विनिर्माण में उपयोग के लिए डीनैचर्ड इथाइल एल्कोहल	5%	शून्य
II.	**खनिज**		
1	एसिड ग्रेड फ्लोर्सपार (जिसमें भार के आधार पर 97 प्रतिशत से अधिक कैल्शियम फ्लौराइड हो)	5%	2.5%
III.	**रत्न और आभूषण क्षेत्र**		
1.	प्रयोगशाला में विकसित रफ हीरे के विनिर्माण में उपयोग के लिए बीज	5%	शून्य
IV.	**पूंजीगत वस्तुएं**		
1.	इलेक्ट्रिक चलित वाहन के बैटरी में उपयोग के लिए लिथियम आयन सैल के विनिर्माण के लिए विशिष्ट पूंजीगत वस्तुएं/मशीनरी	यथा प्रयोज्य	शून्य (31.03.2024 तक)
V.	**आईटी और इलेक्ट्रॉनिकी**		
1.	प्री-काइलसिंड फेराइट पाउडर के विनिर्माण के लिए विशिष्ट रसायन/वस्तुएं	7.5%	शून्य (31.03.2024 तक)
2.	कनेक्टर्स के पुर्जों के विनिर्माण के लिए पैलेडियम टेट्रा अमीन सल्फेट	7.5%	शून्य (31.03.2024 तक)
3.	सैल्यूलर मोबाइल फोन के कैमरा मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लैंस और इसकी निविष्टियां/पुर्जे	2.5%	शून्य
4.	टीवी पैनल के ओपन सैल के विनिर्माण हेतु विशिष्ट कलपुर्जे	5%	2.5%

VI.	**इलेक्ट्रॉनिक उपकरण**		
1.	इलेक्ट्रिक किचन चिमनी के विनिर्माण के लिए हीट कॉइल	20%	15%
VII.	**अन्य**		
1.	प्रशिक्षण के प्रयोजन से उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त खिलाड़ी द्वारा आयातित वार्म ब्लड घोड़ा	30%	शून्य
2.	शर्तों के अधीन परीक्षण और/या प्रमाणन के प्रयोजन से अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा आयातित वाहन, विशिष्ट ऑटोमोबाइल के पुर्जे/संघटक, सब सिस्टम और टायर	यथा प्रयोज्य	शून्य

ग.2. सीमा शुल्क में वृद्धि [दिनांक 02.02.2023 से प्रभावी]

क्र.सं.	वस्तु	शुल्कों की दरें	
		से	तक
I.	**रसायन**		
1.	स्टायरीन	2% (+0.2%एसडब्ल्यूएस)	2.5% (+0.25% एसडब्ल्यूएस)
2.	विनायल क्लोराइड मोनोमर	2% (+0.2% एसडब्ल्यूएस)	2.5% (+0.25% एसडब्ल्यूएस)
II	पेट्रोरसायन		
1	नाफ्था	1% (+ 0.1% एसडब्ल्यूएस)	2.5% (+0.25% एसडब्ल्यूएस)
III.	कीमती धातुएं		
1.	चांदी	7.5% (+ 2.5% एआईडीसी+0.75% एसडब्ल्यूएस)	10% (+ 5% एआईडीसी + शून्य

			एसडब्ल्यूएस)
2.	सिल्वर डोर	6.1% (+ 2.5% एआईडीसी +0.61 % एसडब्ल्यूएस)	10% (+ 4.35% एआईडीसी + शून्य एसडब्ल्यूएस)
IV.	**रत्न एवं आभूषण क्षेत्रक**		
1.	सोनाप्लेटिनम जैसी /चांदी/ क़ीमती धातुओं के आभूषण	20% (+शून्य एआईडीसी +2% एसडब्ल्यूएस)	25% (+शून्य एआईडीसी + शून्य एसडब्ल्यूएस)
2.	इमिटेशन आभूषण	20% अथवा ` 400/ किलो ,.जो भी अधिक हो (+शून्य एआईडीसी +2% or ` 40 प्रति किलो एसडब्ल्यूएस)	25% अथवा ` 600/किलो ,.जो भी अधिक हो (+शून्य एआईडीसी + शून्य एसडब्ल्यूएस)
V.	**ऑटोमोबाइल्स**		
1	सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी) रूप में वाहन (विद्युत वाहन सहित)	30% (+3% एसडब्ल्यूएस)	35% (+शून्य एसडब्ल्यूएस)
2	कम्प्लिटली बिल्ट यूनिट (सीबीयू) रूप में वाहन, सीआईएफ के अलावा 40,000 अमरीकी डॉलर अथवा पेट्रोल-चालित वाहन के लिए 3000 सीसी क्षमता के इंजन से	60% (+6 % एसडब्ल्यूएस)	70% (+शून्य एसडब्ल्यूएस)

	अधिक और डीजल चालित वाहनों के लिए 2500 सीसी से अधिक, अथवा दोनों सहित		
3	कम्प्लिटली बिल्ट यूनिट (सीबीयू) रूप में निर्मित विद्युत चालित वाहन, सीआईएफ के अलावा 40,000 अमरीकी डॉलर से अधिक	60% (+ 6% एसडब्ल्यूएस)	70% (+शून्य एसडब्ल्यूएस)
VI.	**अन्य**		
1	दुपहिया साइकिल	30% (+शून्य एआईडीसी +3% एसडब्ल्यूएस)	35% (+शून्य एआईडीसी + शून्य एसडब्ल्यूएस)
2	खिलौने और खिलौने के पुर्जे इलेक्ट्रोनिक खिलौनों) (के पुर्जों के अलावा	60% (+शून्य एआईडीसी + 6% एसडब्ल्यूएस)	70% (+शून्य एआईडीसी + शून्य एसडब्ल्यूएस)
3	मिश्रित रबड़	10%	25% or ` 30/किलो ,.जो भी कम हो
4.	इलेक्ट्रिक किचन चिम्नी	7.5%	15%

* ***एआईडीसी- कृषि अवसंरचना विकास उपकर ; एसडब्ल्यूएस - सामाजिक कल्याण अधिभार***

घ. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव

घ.1. **सिग्रेटों पर एनसीसीडी की शुल्क दर [दिनांक 02.02.2023 से प्रभावी]**

सामान का विवरण	उत्पाद शुल्क की दरें	
	से (₹ 1000 प्रति स्टिक)	तक (₹ 1000 प्रति स्टिक)
फिल्टर सिगरेटों के अलावा, 65 मिमी तक लंबी	200	230
65 मिमी से अधिक लंबी परंतु 70 मिमी तक की लंबाई वाली फिल्टर सिगरेटों के अलावा	250	290
65 मिमी तक की लंबाई वाली फिल्टर सिगरेटें	440	510
65 मिमी से अधिक लंबी परंतु 70 मिमी तक फिल्टर सिगरेटें	440	510
70 मिमी से अधिक लंबी परंतु 75 मिमी तक फिल्टर सिगरेटें	545	630
अन्य सिगरेटें	735	850
तंबाकू की प्रतिस्थानी अन्य सिगरेटें	600	690

घ.2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अन्य बदलाव [दिनांक 02.02.2023 से प्रभावी]

हरित इंधन को बढ़ावा देने के लिए संपीडित कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से इतनी छूट प्रदान की जा रही है जितनी उसमें सम्मिलित जैविक गैस/कम्प्रेस्ड जैविक गैस पर जीएसटी के भुगतान के लिए संपीडित सीएनजी के लिए होती है।

ङ. अन्य

इसमें लघु स्वरूप वाले अन्य बदलाव हैं। बजट प्रस्तावों के ब्यौरों के लिए, व्याख्यात्मक ज्ञापन और अन्य प्रासंगिक बजट दस्तावेजों को संदर्भित किया जा सकता है।

*****